भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 394
21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण फसल को नुकसान

394. श्री मनोज कुमारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोहतास (सासाराम) के शिवसागर और करहागढ़ जैसे क्षेत्रों में पुराने और क्षतिग्रस्त बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण फसलों को बार-बार नुकसान होता रहता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विद्युत विभाग के साथ समन्वय करने के लिए क्या नीति बनाई गई है और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, शिवसागर ब्लॉक में बिजली की पुरानी और क्षतिग्रस्त तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से फसल को नुकसान पहुँचने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लगभग 21 एकड़ गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है।

(ग) बिहार राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित नहीं है। इसके अलावा, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से हुए नुकसान इस योजना के तहत कवर नहीं किए जाते हैं।

हालांकि, बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के तहत, एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार प्राकृतिक आपदा और आग लगने की घटनाओं से होने वाले 33% से ज़्यादा फसल नुकसान के लिए मुआवज़ा दिए जाने की पॉलिसी लागू है। संबंधित ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर मुआवज़े की राशि जारी की जाती है। बिहार सरकार का ऊर्जा विभाग ढीले तारों और इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़ॉर्मर के रखरखाव की नियमित रूप से निगरानी करता है।
